संदर्भ सं.रा.बै.प्र.का./पु.वि.-जीएसएस/ 1689 /एएमआई-01/2021-22 दिनांक: 29 मार्च 2022

NABARD

परिपत्र सं. 46 /पुनर्वित्त विभाग- 09 /2022

अध्यक्ष / मुख्य कार्य पालक अधिकारी / प्रबंध निदेशक
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
राज्य सहकारी बैंक / राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक /प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक
लघु वित्त बैंक/एनबीएफ़सी / एनबीएफ़सी-एमएफ़आई /
नाबार्ड की सहायक कंपनियाँ
अन्य ऐसे संस्थान जो नाबार्ड के पुनर्वित्त योजना के योग्य हैं

महोदया/ महोदय,

एएमआई-आईएसएएम की उपयोजना के तहत स्टैंडअलोन कोल्ड स्टोरेज की पात्रता पर स्पष्टीकरण
Clarification on eligibility of Standalone Cold Storage under AMI sub-scheme of ISAM

कृपया 26 नवंबर 2018 के हमारे परिपत्र संख्या 283/ पुवि 68/ 2018-19 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा एएमआई आईएसएएम की उपयोजना का दिशानिर्देश जारी किया गया था। इस संदर्भ में, हम सूचित करते हैं की डीएमआई, कृ.ए.कि.क.मं. भारत सरकार ने इस योजना के तहत स्टैंडअलोन कोल्ड स्टोरेज की पात्रता हेतु निमन्वत स्पष्टीकरण दिया है:- i. 1000 मीट्रिक टन क्षमता से अधिक की स्टैंडअलोन कोल्ड स्टोरेज परियोजनाएं एएमआई आईएसएएम की उप-योजना के तहत सब्सिडी के लिए पात्र नहीं होंगी क्योंकि यह परियोजना नकारात्मक सूची के अंतर्गत आती है। ii. किन्तु, एएमआई उप-योजना के परिचालन दिशानिर्देशों के पैरा 4.9 के उल्लेखानुसार "एनसीसीडी द्वारा प्रवर्तित मानकों के अनुसार निर्मित 1000 मै०ट० तक के स्टैंडअलोन कोल्ड स्टोरेज इकाइयां एमआईडीएच लागत मानदंडों के अनुसार सभी योग्य लाभार्थियों हेतु, गैर-भंडारण बुनियादी ढांचे के लिए पैरा 9.2 के तहत दी जाने वाली सब्सिडी की पात्रता के अधीन, सब्सिडी की पात्रता के योग्य है।" 2. कृपया इसे अपने नियंत्रक कार्यालयों / जिला मध्य सहकारी बैंको (राज्य सहकारी बैंकों हेतु) और सभी शाखाओं को तदनुसार सूचित करें।	Please refer to the AMI sub-scheme of ISAM Operational Guidelines issued vide our Circular No. 283/DoR 68/2018-19 dated 26 November 2018. In this connection, we advise that DMI, MoA&FW, GoI has provided the following clarification regarding the eligibility of Standalone Cold Storage under the scheme. i. Standalone Cold Storage projects will not be eligible for subsidy under the AMI sub-scheme of ISAM beyond 1000 MTs capacity, as it comes under negative list. ii. However, as mentioned in para 4.9 of the Operational Guidelines of AMI sub-scheme – "Standalone standardized cold storage units as per standards promoted by NCCD upto 1000 MTs is allowed as per MIDH cost norms for all the eligible beneficiaries subject to eligibility of the subsidy given under para 9.2 for non-storage infrastructure." 2. You may please advise your Controlling Offices/District Central Cooperative Banks (in case of State Cooperative Banks) and branches accordingly.

भवदीया

(निवेदिता तिवारी)
महाप्रबंधक

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
National Bank for Agriculture and Rural Development
पुनर्वित्त विभाग
प्लॉट क्र सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 26539325 • फ़ैक्स: +91 22 26530090 • ई मेल: dor@nabard.org
Department of Refinance
Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 26539325• Fax: +91 22 26530090• E-mail: dor@nabard.org